

वर्क आर्डर
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई
निजी नलकूप

पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024

पत्रांक 3216

वि०वि०ख०-प्र०/उरई

दिनांक

20/07/23

उपखण्ड अधिकारी,
विद्युत वितरण उपखण्ड,
ग्रामीण। उरई

10 एच०पी०

एल०एम०वी० - 05

आवेदक का नाम - श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्रस्व० श्री तुलसीराम कनेक्शन
स्थल-मौजा कुठौंदा।

ग्राम-कुठौंदा, ब्लाक-डकोर, तहसील-उरई,
जिला-जालौन।

जिला जालौन। मो०न० 6267883676

कनेक्शन स्थल : ग्राम-कुठौंदा, ब्लाक-डकोर, तहसील-उरई,
जिला-जालौन।

प्रोसेसिंग प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल UPPCL.ORG ke PTW
Par App No. 1008272077

पर 10.00 हॉर्स पॉवर प्रस्तावित प्रक्रिया निजी नलकूप हेतु विद्युत भार के ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में धनराशि जमा करने का विवरण :-

क.	प्राक्कलन की धनराशि	145875.00	
ख	लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त	68000.00	
	योग:-	77875.00	लघु सिंचाई से प्राप्त धनराशि-68,000
ग.	नगद सर्विस लाइन चार्जज	2036.00	चालान नं० P53724000
घ.	जमानती धनराशि	3000.00	दिनांक 06.07.2023
ग.	मीटर की धनराशि	2921.00	कुल जमा धनराशि 85832.00
	कुल योग	85832.00	

कृपया आप संयोजन देने से पूर्व सुनिश्चित करें कि :-

- 1 उपभोक्ता द्वारा 3 केवीएआर क्षमता का आई०एस०आई० मार्क सही कार्यरत शैट कैपीशटर लगा लिया है।
- 2 उपभोक्ता के प्रतिष्ठान पर लगा भार तथा उसकी विधा अनुबन्ध के अनुसार के ही हों।
- 3 बी० एण्ड एल० फार्म में अंकित सभी मुख्य नियमावली का पालन किया गया हो तथा मोटर एवं उपकरणों का विवरण बी० एण्ड एल० फार्म के अनुसार हों।
- 4 सामग्री उठाने के एक सप्ताह के उपरान्त संयोजन ऊर्जीकृत माना जायेगा।
- 5 आपको संयोजन इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आपको विभाग के नियमों की पूर्ण जानकारी है एवं संयोजन की लाईन मानक के हिसाब से ही बनायेगें एवं लाईन बनाने में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। वाद विवाद में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

इन्हें बी० एण्ड एल० फार्म तथा मीटर निरीक्षण हेतु शुल्क चालान संख्या दिनांक रू० 1200 द्वारा ही जमा करके अपना अनुबन्ध इस कार्यालय में दिनांकको कर दिया है इसका कार्य पूर्ण होने पर प्रगति आख्या देना सुनिश्चित करें।

नोट:- आपको संयोजन इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आपको विभाग के नियमों की पूर्ण जानकारी है एवं संयोजन की लाईन मानक के हिसाब से ही बनायेगें एवं लाईन बनाने में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। वाद विवाद में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

कृपया बी० एण्ड एल० फार्म को सत्यापित कर इण्डेन्ट खण्ड को प्रेषित करें।

पत्रांक 3216 वि०वि०ख०-प्र०/उरई

दिनांक

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई

20/07/23

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला उरई।
- 2 आवेदक का नाम - श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्रस्व० श्री तुलसीराम कनेक्शन स्थल-मौजा कुठौंदा। ग्राम-कुठौंदा, ब्लाक-डकोर, तहसील-उरई, जिला-जालौन।
- 3 विद्युत निरीक्षक, उ०प्र० सरकार सूरी शामयाना हाऊस झांसी को बी० एण्ड एल० फार्म तथा चालान की एक एक प्रतियों के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 लेखाकार (राजस्व) विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, उरई।

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई